रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924
No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
Kol 13/1/03

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2002

सा.का.नि. 400(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 31(अ) तारीख 15 जनवरी, 2002 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 16 जनवरी, 2002 को जनता को उपलब्ध कर दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 27, 64, 110 और 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम 2002, है

(2) ये नियम जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान, 1989 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(झ) "प्रवर्ग एल" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (27) में परिभाषित रूप में कोई ऐसी मोटरसाइकिल अभिप्रेत है, जिसकी अधिकतम डिज़ाइन गति 45 किलोमीटर/घंटा से अधिक न हो और यदि उसमें थर्मिक इंजन लगाया गया हो तो उसकी इंजन क्षमता 50 सी सी से अधिक न हो;

(ञ) "प्रवर्ग एल 2" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (27) में परिभाषित रूप में कोई ऐसी मोटरसाइकिल अभिप्रेत है, जिसकी अधिकतम डिज़ाइन गति 45 किलोमीटर/घंटा से अधिक हो और यदि उसमें थर्मिक इंजन लगाया गया हो तो उसकी इंजन क्षमता 50 सी सी से अधिक हो;

(ट) "प्रवर्ग एम" से यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त कम से कम चार पहियों वाला मोटरयान अभिप्रेत है।

(ठ) "प्रवर्ग एम 1" से यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ से अनधिक सीटें हों।

(ड) "प्रवर्ग एम 2" से यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ से अधिक सीटें हों और जिसका अधिकतम वजन पांच टन से अधिक नहीं है।

(ढ) "प्रवर्ग एम 3" से यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ से अधिक सीटें हों और जिसका कुल अधिकतम वजन पांच टन से अधिक है।

(ण) "प्रवर्ग एन" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त कम से कम चार पहियों वाला मोटरयान अभिप्रेत है।

(त) "प्रवर्ग एन 1" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसका अधिकतम वजन 3.5 टन से अधिक नहीं है।

(थ) "प्रवर्ग एन 2" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसका अधिकतम वजन 3.5 टन से अधिक है किंतु 12 टन से अधिक नहीं है।

(द) "प्रवर्ग एन 3" से माल के वहन के लिए प्रयुक्त ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसका अधिकतम वजन 12 टन से अधिक है।

(ध) "स्मार्ट कार्ड" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो डाटा भण्डारण करने तथा कमांड निष्पादित करने में समर्थ है, जो प्लास्टिक कार्ड पर मढ़ी हुई एकल चिप माइक्रो प्रोसेसर है और कार्ड तथा चिप के परिमाप आई एस ओ-7816 विनिर्देशों में, जैसे समय-समय पर संशोधित किए जाएं, प्रकार के हैं।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के खंड (घ) में, "मध्यम माल यान, मध्यम यात्री मोटरयान, भारी माल यान या भारी यात्री मोटरयान" शब्दों के स्थान पर "परिवहन यान" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 16 के उपनियम (2) में "लेमिनेटिड कार्ड किस्म की चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "लेमिनेटिड कार्ड या स्मार्ट कार्ड किस्म की चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 32 की सारणी में,—

(क) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (3) में "एक सौ पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ (3) में "तीस रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) क्रम सं. 8 के सामने स्तंभ (3) में, "एक सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 48 में, "प्ररूप 23 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 23 या प्ररूप 23 क में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 87 की सारणी के टिप्पण में निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि इस सारणी की क्रम सं., 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए कोई स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक कार्ड के लिए दो सौ रुपए की अतिरिक्त फीस की रकम प्रभारित की जाएगी"।

8. उक्त नियमों के नियम 83 के उपनियम (2) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किया जाता है तो प्रत्येक प्राधिकार पत्र प्ररूप 23 क में अनुदत्त किया जाएगा या यदि प्राधिकार पत्र कागजी दस्तावेज, प्रकार का है तो वह संबद्ध राज्यों द्वारा उद्गृहीत करों या फीसों, यदि कोई हो, के संदाय के अधीन रहते हुए प्ररूप 47 में अनुदत्त किया जाएगा। वह प्राधिकारी जो प्राधिकार अनुदत्त करता है, परमिट धारक को ऐसे करों या फीसों के लिए प्रत्येक बैंक ड्राफ्ट की बाबत पृथक रसीदें जारी करेगा और ऐसी रसीदें ऐसे वाटर मार्क कागज पर सुरक्षित रूप से मुद्रित होगी जिस पर ऐसा होलोग्राम होगा जो संबद्ध राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए"।

परन्तु यह कि करों या फीसों के संबंध में प्राप्त बैंक प्रारूप सदैव उस प्राधिकारी द्वारा, अग्रेषित किए जाएंगे, जो संबंधित राज्यों को प्राधिकार पत्र प्रदत्त करता है;

परन्तु यह भी कि ऐसे होलोग्राम वाले सुरक्षित रूप से मुद्रित वाटर मार्क कागज का उपयोग केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास पर या उसके पूर्व प्रवर्तन में आएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 87 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किया जाता है तो प्रत्येक प्राधिकार पत्र प्ररुप 23क में अनुदत्त किया जाएगा या यदि प्राधिकार पत्र कागजी दस्तावेज प्रकार का है तो वह संबद्ध राज्यों द्वारा उद्गृहीत करों या फीसों, यदि कोई हो, के संदाय के अधीन रहते हुए प्ररुप 47 में अनुदत्त किया जाएगा। वह प्राधिकारी जो प्राधिकार पत्र अनुदत्त करता है, अनुज्ञा/पत्र धारक को ऐसे करों या फीसों के लिए प्रत्येक बैंक ड्राफ्ट की बाबत पृथक रसीदें जारी करेगा और ऐसी रसीदें ऐसे वाटर मार्क कागज पर सुरक्षित रूप से मुद्रित होंगी जिस पर ऐसा होलोग्राम होगा जो संबद्ध राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए" । या

परन्तु यह कि करों या फीसों के संबंध में प्राप्त बैंक प्रारुप सदैव उस प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किए जाएंगे, जो संबंधित राज्यों को प्राधिकार पत्र प्रदत्त करता है;

परन्तु यह भी कि ऐसे होलोग्राम वाले सुरक्षित रूप से मुद्रित वाटर मार्क कागज का उपयोग केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास पर या उसके पूर्व प्रवर्तन में आएगा।

10. उक्त नियमों के नियम 88 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. राष्ट्रीय परमिट वाटर मार्क कागज पर सुरक्षित रूप से मुद्रित होगा और उस पर ऐसा होलोग्राम होगा जिसे ऐसे परमिट को जारी करने वाली राज्य सरकार या राज्य परिवहन प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे"।

परन्तु यह कि ऐसे होलोग्राम वाले सुरक्षित रूप से मुद्रित वाटर मार्क कागज का उपयोग केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2002 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास पर या उसके पूर्व प्रवर्तन में आएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 95 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(6) भारत में विनिर्मित यानों और आयातित यानों (नए और पुराने) की दशा में टायरों के आकार, यदि वे भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मानकों अर्थात् ईसी ई, जेएटीएमए, ईटीआरटीओ और टी एंड आर ए में सम्मिलित हैं, इस नियम के अधीन भी स्वीकार किए जा सकेंगे :

परंतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा—

(1) नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण भारतीय दशाओं के प्रति निर्देश से टायर की भार और गति रेटिंग के बारे में अपना समाधान करेंगे।

(2) उद्गम के देश के परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र का नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण द्वारा स्वीकृति के लिए सत्यापन किया जाएगा;

(3) शर्त (1) और (2) के अनुरुप आयातित यानों में लगे हुए ट्यूब रहित टायरों को भी अनुज्ञात किया जाएगा।"

12. उक्त नियमों के नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"96क उच्च गति की ब्रेकिंग अपेक्षाएं :—उच्च गति की ब्रेकिंग के लिए निम्नलिखित परीक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग एम 1 की दशा में, आई एस : 11852-2001 के भाग 3 में यथापरिभाषित पी टाइप, सर्विस ब्रेक परीक्षण 120 किलोमीटर प्रति घंटा की परीक्षण गति पर इंजन कनेक्टिड मोड में या यान के डिजाइन की अधिकतम गति के 80 प्रतिशत पर जो भी न्यूनतर हो, किया जाएगा।

(ख) स्टापिंग डिस्टेंस अपेक्षाएं निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होंगी, अर्थात् :—

$$\text{एस} < 0.1V + (V^2/130)$$

जहां एस स्टापिंग डिस्टेंस मीटर में है :

वी किलोमीटर/प्रति घंटा में परीक्षण स्पीड है और नियंत्रण बल एफ < 500 न्यूटन है :

परन्तु यह उपनियम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 के प्रारम्भ की तारीख से ऐसे यानों की दशा में जिनका अनुमोदन होना है छह मास के पश्चात् और पहले से ही किस्म अनुमोदित यानों की दशा में 12 मास के पश्चात् लागू होगा।

13. उक्त नियमों के नियम 98 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) विनिर्मित ऐसे तिपहियों जिनमें स्टीयरिंग व्हील नहीं लगा हुआ है, मोटर साइकिलों, अशक्त यात्री गाड़ियों और कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न सभी मोटरयानों का स्टीयरिंग एफर्ट 1 जनवरी, 2003 को और उसके पश्चात् से तब तक समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आई एस : 11948-1998 के अनुरूप होगा, जब तक कि तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित नही कर दिए जाते।"

14. उक्त नियमों के नियम 101 के उपनियम (2) में "तिपहियों" शब्दों से आरम्भ होने वाले और "वाइपिंग प्रणाली" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 जनवरी, 2003 को और उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहियों, मोटरसाइकिलों और अशक्त यात्री गाड़ियों से भिन्न सभी मोटर यानों में जिनमें विंड स्क्रीन लगी है, विंड स्क्रीन वाइपिंग प्रणाली लगाई जाएगी, जो समय-समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित मानकों में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुरूप तक होगी जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के तत्स्थानी विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं" :

(1) प्रवर्ग एम 1 के यानों की दशा में ए आई एस 019/2001

(2) अन्य यानों की दशा में, ए आई एस 011/2001

15. उक्त नियम के नियम 108 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"108. लाल, सफेद या नीली लाइट का उपयोग" :—

(1) कोई भी मोटर यान आगे लाल लाइट या पीछे लाल से भिन्न कोई अन्य लाइट नहीं जलाएगा;

परन्तु इस नियम के उपबंध,—

(i) यान का आंतरिक लाइट-प्रबंध या;

(ii) एंबर लाइट, यदि किसी दिशा सूचक द्वारा प्रदर्शित की जाती है या टाप लाइट जिसका वायु पत्तनों, पत्तनों जैसे परिसरों के भीतर उन परिसरों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर जाए बिना चलने वाले यान पर उपयोग किया जाता है ;

(iii) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर विनिर्दिष्ट अतिगणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाला कोई यान;

(iv) रोगियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एंबुलैंस में लगाई गई परपल ग्लास वाली ब्लिकंर किस्म की लाल लाइट; या

(v) विद्युत बल्ब से फिट लैंप वाला यान, यदि बल्ब की शक्ति सात वाट से अधिक नही है और लैंप में धुंधला शीशा या ऐसा कोई अन्य पदार्थ लगा हुआ है जिसमें रोशनी को प्रसारित करने की शक्ति है;

(vi) पीछे की नम्बर प्लेट को प्रकाशित करने वाली सफेद लाइट;

(vii) बैक करते समय प्रयुक्त सफेद लाइट;

(viii) कृषि ट्रैक्टरों में कृषि खेतों में संक्रिया के दौरान चलने वाले उपकरणों पर प्रकाश डालने के लिए लगाई गई फ्लड लाइट;

(2) फ्लैशर युक्त नीली लाइट का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा उनके विवेकानुसार अवधारित ओर अधिसूचित किया जाएगा।

(3) टापलाइट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाइट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकोर्टिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाइट का उपयोग करने के हकदार हैं।

(4) बहुरंगी लाल, नीली और सफेद लाईट का उपयोग केवल विनिर्दिष्ट रूप से आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(5) राज्य सरकार, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले यान के टाप पर लाल लाईट का प्रयोग करने के बारे में भारत के राजपत्र में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 52(अ) तारीख 11 जनवरी, 2002 के उपनियम (2) और खण्ड (ङ) के अधीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी;

(6) उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथा स्थिति, लाल या नीली लाईट का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढका जाएगा।

IndiaCode

16. उक्त नियमों के नियम 115 में—

(अ) उपनियम (2) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात :—

"(क) दो पहिए और तिपहिए यानों से भिन्न यानों के लिए जो,—

(i) द्रवित पैट्रोलियम गैस (एल पी जी), पैट्रोल; या

(ii) संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी, पैट्रोल),

से चलते हैं, निष्कार्य सी ओ, (कार्बन मोनोआक्साइड) उत्सर्जन सीमा, आयतन के अनुसार 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;"

(ख) ऐसे सभी दो पहिए और तिपहिए यानों के लिए जो—

(i) "द्रवित पैट्रोलियम गैस (एल पी जी), पैट्रोल; या

(ii) संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी, पैट्रोल),

से चलते हैं, निष्कार्य सी ओ, (कार्बन मोनोआक्साइड) उत्सर्जन सीमा, आयतन के अनुसार 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;"

(आ) उपनियम (10) में,—

(i) "दो पहिया और तिपहिया शीर्ष के अधीन सारणी में क. पैट्रोल से चलने वाले यानों के लिए" उपशीर्ष के अधीन टिप्पणी में अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"कैटलाइटिक कनवरटर से युक्त दो पहियों या तिपहियों के लिए किस्म अनुमोदन सीमा पर 1.2 ह्रास फैक्टर उनके स्थायित्व के लिए लागू होगा:

परन्तु यान विनिर्माता ह्रास फैक्टर का मूल्यांकन करने के लिए 30 हजार किलो मीटर के आयु संबंधी परीक्षण के लिए उस प्रक्रिया के अनुसार विकल्प ले सकते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए";

(1) "या चौबीस डायनामोमीटर परीक्षण" शीर्ष के अधीन भाग 2 में "आ. डीजल यानों के लिए (जिनके अंतर्गत दो और तिपहिया भी है) उपशीर्ष के अधीन टिप्पणी में अंतिम पैरा के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कैटलाइटिक कनवरटर से युक्त दो पहियों और तीन पहियों के लिए किस्म अनुमोदन सीमाओं पर 1.2 का ह्रास फैक्टर निम्नलिखित होगा :"

सी ओ = 1.; एस सी + एन ओ एक्स = 1.0; पी एम = 1.2

परन्तु यान विनिर्माता ह्रास फैक्टर का मूल्यांकन करने के लिए 30 हजार किलो मीटर के आयु संबंधी परीक्षण के लिए उस प्रक्रिया के अनुसार विकल्प ले सकते हैं जो केन्द्रीय द्वारा अधिकथित की जाए";

"परन्तु यह और कि उपर्युक्त उपबंध अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात प्रवृत्त होंगे ।"

17. उक्त नियमों के नियम 118 के उपनियम (1) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द रखे जायेंगे।

18. उक्त नियमों के नियम 119 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु 1 जनवरी, 2003 से ही हार्न स्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर संशोधित ए आई एस 014/2001 विनिर्देशों के अनुरूप तब तक होंगी जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के तत्स्थानी विनिर्देश अधिसूचित नहीं कर दिए जाते।

19. उक्त नियमों के नियम 123 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु 1 जनवरी, 2003 से ही पिलियन हैंड होल्डस समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 14495-1998 विनिर्देशों द्वारा तब तक शासित होंगे जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के तत्स्थानी विनिर्देशों को अधिसूचित नही कर दिया जाता है। "

20. उक्त नियमों के नियम 124 में उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) 1 जनवरी, 2003 से ही यान को पीछे चलाने के लिए संरक्षण युक्ति की सामान्य अपेक्षाएं और यान पार्श्व संरक्षण युक्ति की तकनीकी अपेक्षाएं क्रमश: आई एस : 14812-2000 विनिर्देशों और आई एस 14682-1999 विनिर्देशों के अनुसार जैसे समय-समय पर संशोधित किए जाएं, होंगी।"

21. उक्त नियमों के नियम 125 में,—

(क) उपनियम (1 क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1 क) प्रत्येक मोटर यान का विनिर्माता, प्रत्येक मोटर यान में पीछे की आगे की ओर मुंह वाली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बैल्ट लगाएगा :

परंतु मोटर यानों में सेफ्टी बेल्ट ऐसेंबलीज और सेफ्टी बेल्ट एंकोरेजेज के विनिर्देश क्रमश: ए आई एस: 005-2000 और ए आई एस: 015-2000 विनिर्देशों के जैसे समय-समय पर संशोधित किए जाएं के अनुरूप तब तक होंगे जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश अधिसूचित नहीं कर दिए जाते :

परंतु यह और कि 1 अक्तूबर, 2002 को और उसके पश्चात् मोटर यानों में सेफ्टी बेल्ट ऐसेबंलीज और सेफ्टी बेल्ट एंकोरेजेज 005-2000 और ए आई एस: 015-2000 विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।"।

(ख) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 जनवरी, 2003 से ही रियर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं क्रमश: ए आई एस: 001-2001 और ए आई एस: 002-2001 द्वारा विनिदिष्ट अपेक्षाओं जैसी समय-समय पर संशोधित की जाएं के अनुरूप तब तक होंगी जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।"।

(ग) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5. 1 जनवरी, 2003 को और उसके पश्चात् प्रवर्ग एम 1 यान की सीटों का आकार और विनिर्देश, उनके एंकोरेज और हैड रेस्ट्रेंट्स (सामान अवधारण को छोड़कर) ए आई एस : 016-2000 विनिर्देशों के, जैसे समय-समय पर संशोधित किए जाएं, तब तक अनुरूप होंगे जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं करता है।

22. उक्त नियमों के नियम 126 में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इन नियमों के अनुपालन के लिए मोटरयानों के किस्म अनुमोदन और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित ए आई एस : 017-2000 के अनुसार होगी।"।

23. उक्त नियमों के नियम 126क में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु भारत में दिए गए आधारिक माडल के विक्रय किए गए यानों की संख्या और उनके परिवर्तो की संख्या (भारत में विनिर्मित या भारत में आयातित) एक वर्ष में किसी भी लगातार छह मास की अवधि में 250 से कम है तब ऐसे आधारिक माडल और उसके परिवर्तो को उपरोक्त परीक्षण के अध्यधीन जाने की आवश्यकता नहीं है यदि यथास्थिति उस विनिर्माता या आयातकर्ता द्वारा विनिर्मित या आयातित माडलों या उसके परिवर्तो में से कम से कम एक के ऐसे परीक्षण कर लिए जाते हैं"

परंतु यह और कि उस दशा में जब विनिर्मित/आयातित आधारिक माडलों और उसके परिवर्तो की संख्या एक से अधिक है और यदि एकमात्र आधारित माडल और उसके परिवर्त एक वर्ष में छह मास की किसी लगातार अवधि में 250 से कम है तब परीक्षण अभिकरण ऐसे माडल या उसके परिवर्तो में से किसी एक यान का ऐसा परीक्षण करने के लिए एक वर्ष में चयन कर सकेंगे।"

24. उक्त नियमों के नियम 138 के उपनियम (4) के खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु 1 जनवरी, 2003 को और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों की दशा में आकार के ट्रायंगल और विनिर्देश समय-समय पर यथासंशोधित ए आइ एस : 022-2001 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के तब तक अनुरूप होंगे जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश अधिसूचित नहीं कर दिए जाते।"।

"प्ररूप 7"

[नियम 16(2) देखें]

चालन अनुज्ञप्ति का प्ररूप (लेमिनेटिड/स्मार्ट कार्ड किस्म)

दृष्टिक निरीक्षण जोन

चालन अनुज्ञप्ति संख्या

जारी करने की तारीख

फोटोग्राफ

[..... तक विधिमान्य (अपरिवहन).....तक विधिमान्य (परिवहन)]

नाम (उपनाम) (प्रथम नाम)

का पु

पता (वर्तमान)

जन्म तिथि (तारीख) (मास) (वर्ष)

संपूर्ण भारत में निम्नलिखित वर्ग के यान चलाने के लिए प्राधिकार-पत्र

i यान का वर्ग

ii जारी करने की तारीख (तारीख) (मास-वर्ष)

बैज-संख्या-चालक का रक्त समूह और आर एच फैक्टर

अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर और/अंगूठा निशान का नमूना

अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान

टिप्पण : सुरक्षा विशिष्टियों के लिए जैसे छाया बिंब और/या होलोग्राम के लिए उपबंध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञप्ति के दृष्टिक निरीक्षण जोन में उपबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित विशिष्टियां अनुज्ञप्ति में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्ड के पृष्ठ भाग पर उपबंधित की जाएं।

25. उक्त नियमों के प्ररूप 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 7"

[नियम 16(2) देखें]

चालन अनुज्ञप्ति का प्ररूप (लेमिनेटिड/स्मार्ट कार्ड किस्म)

दृष्टिक निरीक्षण जोन

फोटोग्राफ

चालन अनुज्ञप्ति संख्या

जारी करने की तारीख

कब तक, वैध है (गैर परिवहन)..... कब तक, वैध है (परिवहन).....

नाम (उपनाम) (दिया गया नाम) (मध्य नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

..... (उपनाम) (दिया गया नाम) (मध्य नाम)

पता (वर्तमान)

जन्म तिथि (तारीख) (मास) (वर्ष)

संपूर्ण भारत में निम्नलिखित वर्ग के यान चलाने के लिए प्राधिकार

i यान का वर्ग

ii जारी करने की तारीख (तारीख (मास) (वर्ष)

बैज-संख्या

चालक का रक्त समूह और आर एच फैक्टर

अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान का नमूना

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान

टिप्पण : सुरक्षा विशिष्टियों जैसे छाया बिंब और/या होलोग्राम के लिए उपबंध संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति के दृष्टिक निरीक्षण जोन में किया जाएगा। कार्ड की क्रम संख्या कार्ड निर्माता द्वारा कार्ड के पृष्ठ भाग पर ऊपरी बाएं कोने पर मुद्रित की जाएगी।

मशीन द्वारा पठनीय जोन

संबंधित राज्य सरकारें अनुज्ञप्ति में मशीन द्वारा पठनीय जोन में निम्नलिखित विशिष्टियां उपबंधित करेंगी:—

चिप क्रम संख्या

चालन अनुज्ञप्ति संख्या

जारी करने की तारीख

कब तक, वैध है (गैर परिवहन)..... कब तक, वैध है (परिवहन)

नाम (उपनाम)..... (दिया गया नाम) (मध्य नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

.....(उपनाम) (दिया गया नाम) (मध्य नाम)

जन्म तिथि (तारीख) (मास) (वर्ष)

यान का वर्ग

जारी करने की संबंधित तारीख

यथोपरि यान संबंधित वर्ग के लिए

चालन परीक्षण लेने वाले प्राधिकारी का संक्षिप्त नाम

यथोपरि यान के संबंधित वर्ग के लिए चालन परीक्षण लेने वाले प्राधिकारी का पदनाम

जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान

पृष्ठांकन ब्यौरे (निम्नलिखित ब्यौरे सहित 10 पृष्ठांकन समाहित करने के लिए उपबंध किया जाएगा)

*पृष्ठांकन/चालान संख्या

*पृष्ठांकन/चालान की तारीख

पृष्ठांकन प्राधिकारी का आई. डी. कोड

धारा/नियम/कार्यवाही संख्या (10 धाराओं/नियमों के लिए उपबंध)

जुर्माना

(तारीख मास वर्ष) से निरर्हता की अवधि

..... (तारीख मास वर्ष) तक निरर्हता की अवधि

समझौता/पुनर्विलोकन की तारीख (तारीख मास वर्ष)

समझौता/पुनर्विलोकन प्राधिकारी की पहचान

बैज का ब्यौरा

बैज संख्या

..... तक विधिमान्य

प्राधिकार संख्या

IndiaCode

प्राधिकार की तारीख

26. उक्त नियमों के प्ररूप 20 में मद संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4 (क) स्वामी की वार्षिक आय और पेन/जी आई आर संख्या"।

27. उक्त नियमों के प्ररूप 23 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 23क

(नियम 48 देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (इलैक्ट्रानिक माध्यम में जैसे कि स्मार्ट कार्ड, आदि)

स्मार्ट कार्ड दृष्टिक निरीक्षण जोन पर मुद्रित की जाने वाली विशिष्टियां

दृष्टिक निरीक्षण जोन की अंतर्वस्तु

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

1. राज्य परिवहन विभाग का नाम
2. कार्ड क्रम संख्या
3. यान रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख मास वर्ष)
5. स्वामी के ब्योरे :—

5.1 नाम

5.2 पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री

5.3 पता: वर्तमान डाक का पता

6. यान के ब्योरे

6.1 निर्माता का नाम और मेक

6.2 रंग

6.3 ईंधन

6.4 यान का वर्ग

6.5 बॉडी की किस्म

6.6 सीटों की क्षमता

6.7 स्टेंडिंग क्षमता

6.8 विनिर्माण की तारीख (तारीख मास वर्ष)

6.9 खाली यान का भार

6.10 क्यूबिक क्षमता

6.11 व्हील बेस

6.12 सिलेंडरों की संख्या

6.13 स्वामी का क्रम (वैकल्पिक)

6.14 चेसिस संख्या

6.15 इंजन संख्या

7. (तारीख माह वर्ष) तक संदत्त कर

8. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (तारीख मास वर्ष)

9. रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

10. जारी करने वाले प्राधिकारी की पहचान

IndiaCode

मशीन द्वारा पठनीय जोन की विषय वस्तु

11. चिप क्रम संख्या
12. स्वामी का क्रम (जब स्वामित्व परिवर्तन हुआ है तो इसकी संख्या)
13. कर की तारीख (कर विधिमान्यता की तारीख) (तारीख मास वर्ष)
14. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता (तारीख मास वर्ष)
15. आडमान के ब्यौरे :—

15.1 वित्त पोषक का नाम

15.2 वित्त पोषक का पता

15.3 (तारीख मास वर्ष) से आडमानित

15.4 (तारीख मास वर्ष) तक आडमानित

16. अनापत्ति प्रमाणपत्र एन ओ सी के ब्यौरे—(भावी प्रयोग)

16.1 अनापत्ति प्रमाणपत्र की संख्या

16.2 राज्य के लिए (केवल कोड)

16.3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए

16.4 एन सी आर वी स्वीकृति के लिए

16.5 अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख (तारीख मास वर्ष)

17. बीमा के ब्योरे—(भावी प्रयोग)

17.1 कंपनी का नाम

17.2 कवरनोट/पॉलिसी संख्या

17.3 बीमा का प्रकार

17.4 विधिमान्यता की तारीख (तारीख मास वर्ष)

18. प्रदूषण नियंत्रण के ब्योरे (भावी प्रयोग)

18.1 जांच केन्द्र (केवल कोड)

18.2 (तारीख मास वर्ष) तक विधिमान्यता

19. कर संदाय के ब्योरे :—

रकम

जुर्माना

छूट/रसीद संख्या

संदाय की तारीख (तारीख मास वर्ष)

(तारीख मास वर्ष) से विधिमान्य

(तारीख मास वर्ष) तक विधिमान्य

छूट (हां/नहीं)

20. फिटनेस के ब्योरे

विधिमान्य (तारीख मास वर्ष)

निरीक्षण अधिकारी

अवस्थिति

21. परिवहन यान के संबंध में अतिरिक्त सूचना

सकल यान भार (कि. ग्रा. में)

टायरों की संख्या, वर्णन और आकार

रजिस्ट्रीकृत धुरी भार

IndiaCode

अर्ध ट्रेलरों की संख्या

22. चालान के ब्यौरे

चालान संख्या

अभियुक्त व्यक्ति (स्वा.-स्वामी, चा.-चालक, परि.-परिचालक)

धारा (केवल कोड)

चालान करने वाला अधिकारी

अवस्थिति

तारीख और समय (तारीख माह वर्ष/घंटा/मिनट)

व्ययन करने वाला प्राधिकारी (आर-आर टी ओ, सी-कोर्ट)

व्ययन की तारीख (तारीख माह वर्ष)

शास्ति

रसीद संख्या

23. परमिट के ब्यौरे

परमिट संख्या

परमिट का प्रकार (तारीख माह वर्ष में)

(तारीख माह वर्ष में) से विधिमान्य

(तारीख माह वर्ष में) तक विधिमान्य

परिचालन क्षेत्र

मुकाम से

मुकाम तक

मुकाम 1

मुकाम 2

मुकाम 3

24. परमिट कार्रवाई

कार्रवाई कोड

अभ्यर्पण/निलंबन/रद्दकरण

(तारीख माह वर्ष में) तारीख से

(तारीख माह वर्ष में) तारीख तक

कारण

25. अखिल भारतीय पर्यटन परमिट के ब्यौरे

(तारीख माह वर्ष में) तारीख से

(तारीख माह वर्ष में) तारीख तक

26. प्राधिकरण के ब्यौरे

राज्य (केवल कोड)

प्राधिकरण संख्या

(तारीख माह वर्ष में) से विधिमान्य

(तारीख माह वर्ष में) तक विधिमान्य

बैंक ड्राफ्ट रकम

बैंक ड्राफ्ट संख्या

बैंक (केवल कोड)

IndiaCode

शाखा

बैंक ड्राफ्ट जारी करने की तारीख (तारीख माह वर्ष में)

27. प्रति हस्ताक्षर के ब्यौरे

प्राधिकार प्रदान करने वाला कार्यालय

(तारीख माह वर्ष में) से विधिमान्य

(तारीख माह वर्ष में) तक विधिमान्य

मुकाम से

मुकाम तक

मुकाम 1

मुकाम 2

मुकाम 3

28. ऑटो रिक्शा/स्थानीय टैक्सियों की दशा में :—

मीटर संख्या

टिप्पण : (i) कर की अगली किस्त के संदाय के समय जारी करने वाला प्राधिकारी यह कथन करते हुए एक लिखित रसीद जारी करेगा कि संदत्त कर की विधिमान्यता की तारीख अमुक तारीख से बढ़ा कर अमुक तारीख तक कर दी गई है। इस रसीद पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम का भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा। यह रसीद सुरक्षा मुद्रित वाटर पेपर, उस पर ऐसा होलोग्राम होगा जिसे संबंध राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

टिप्पण : (ii) संलग्न यान के संबंध में ट्रेलर की अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है।

28. उक्त नियमों का प्ररूप 47 में निम्नलिखित नोट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : यह प्ररूप सुरक्षा मुद्रित वॉटर मार्क पेपर पर होगा और उस पर ऐसा होलोग्राम होगा जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके, होलोग्राम चिह्न होगा।"

[फा. सं. आर टी-11036/38/2000-एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम की सा.का.नि. सं. 590 (अ) 2 जून, 1989 के तहत अधिसूचित किए गए थे और 28 मार्च, 2002 की सा.का.नि. सं. 242 (अ) के तहत अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2002

G.S.R. 400(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th January, 2002 in the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 31 (E), dated the 15th January, 2002, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty five days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 16th January, 2002;

And whereas objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 27, 64, 110 and 137 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles(Third Amendment) Rules, 2002.

(2)They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette, unless otherwise specified in these rules.

2. the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

'(i) "Category L1" means a motor cycle as defined in sub-section (27) of section 2 of the Act, with maximum design speed not exceeding 45 km/hour and engine capacity not exceeding 50 cc, if fitted with a thermic engine.

(j) "Category L2" means a motor cycle as defined in sub-section (27) of section 2 of the Act, with maximum design speed exceeding 45 km/hour and engine capacity exceeding 50 cc, if fitted with a thermic engine;

(k) "Category M" means a motor vehicle with at least four wheels used for the carriage of passengers and their luggage;

(l) "Category M1" means a motor vehicle used for the carriage of passengers and their luggage and comprising no more than eight seats in addition to the driver's seat;

(m) "Category M2" means a motor vehicle used for the carriage of passengers and their luggage and comprising more than eight seats in addition to the driver's seat and having a maximum mass not exceeding 5 tonnes;

(n) "Category M3" means a motor vehicle used for the carriage of passengers and their luggage and comprising more than eight seats in addition to the driver's seat and having a maximum mass exceeding 5 tonnes;

(o) "Category N" means a motor vehicle with at least four wheels used for the carriage of goods;

(p) "Category N1" means a motor vehicle used for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3.5 tonnes;

(q) "Category N2" means a motor vehicle used for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 12 tonnes;

(r) "Category N3" means a motor vehicle used for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes;

(s) "Smart Card" means a device capable of storing data and executing commands, which is a single chip microprocessor, mounted on a plastic card and the dimensions of the card and chip are as specified in ISO-7816 specifications, as may be amended from time to time;

3. In rule 10 of the said rules, in clause (d), for the words "medium goods vehicle, a medium passenger motor vehicle, a heavy goods vehicle, or a heavy passenger motor vehicle", the words "transport vehicle" shall be substituted.

4. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (2), for the words "for the issue of a laminated card type driving licence, such card type driving licence", the words "for the issue of a laminated card type or Smart Card type driving licence, such card type or Smart card type driving licence, as may be specified in the Notification issued by the concerned State Government or Union Territory Administration," shall be substituted.

5. In rule 32 of the said rules, in the Table,-

(a)against Serial No.3, in column(3), for the words "One hundred and fifty rupees", the words "Two hundred rupees" shall be substituted;

(b)against Serial No.6, in column(3), for the words "Thirty rupees", the words "fifty rupees shall be substituted;

(c)against Serial No. 8, in column (3), for the words "One hundred and fifty rupees", the words "Two hundred rupees" shall be substituted.

6. In rule 48 of the said rules, for the words and figures "certificate of registration in Form 23", the words, figures and letter "certificate of registration in Form 23 or Form 23A, as may be specified in the Notification issued by the concerned State Government or Union Territory Administration," shall be substituted.

7. In rule 81 of the said rules, in the Table, in the Note, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that in case for any purpose referred to in Serial Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Table is issued on any Smart Card, an additional amount of fee of Rupees two hundred shall be charged for each such card.".

8. In rule 83 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every authorization shall be granted in Form 23A, in case the certificate of registration is issued on Smart Card or shall be granted in Form 47, in case the authorization is in paper document mode subject to the payment of taxes or fees, if any, levied by the concerned State. The authority which grants the authorization shall issue to the permit holder separate receipts for such taxes or fees in respect of each bank draft and such receipts shall be security printed water-mark paper carrying such hologram as may be specified by the concerned State/Union Territory:

Provided that the Bank Drafts received in respect of taxes or fees shall invariably be forwarded by the authority which grants the authorisation to the respective States;

Provided also that the use of such security printed water-mark paper carrying such hologram shall come into force on or before six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2002".

9. In rule 87 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) Every authorization shall be granted in Form 23A,in case the certificate of registration is issued on Smart Card or shall be granted in Form 47, in case the authorization is in paper document mode, subject to the payment of taxes or fees, if any, levied by the concerned State. The authority which grants the authorization shall issue to the permit holder separate receipts for such taxes or fees in respect of each bank draft and such receipts shall be security printed water-mark paper carrying such hologram as may be specified by the concerned State/union Territory:

Provided that the Bank Drafts received in respect of taxes or fees shall invariably be forwarded by the authority who grants the authorisation to the respective States;

Provided also that the use of such security printed water-mark paper carrying such hologram shall come into force on or before six months from the date of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2002".

10. In rule 88 of the said rules, after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:

"(5) A national permit shall be in such security printed water-mark paper and shall carry such hologram as the State Government or the State Transport Authority, as the case may be, issuing such permit, may specify:

Provided that the use of such security printed water-mark paper carrying such hologram shall come into force on or before six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2002".

11. In rule 95 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) In the case of Indian manufactured vehicles and imported vehicles (new and old), the sizes of tyres if included in the International Standards namely, ECE, JATMA, ETRTO and T&RA besides Bureau of Indian Standards may also be accepted under this rule:

Provided that the following conditions shall be complied with.

(i) that testing agencies referrred to in rule 126 shall satisfy themselves about the load and speed rating of the tyre with reference to the Indian conditions;

(ii) that the test report/certificate issued by the testing agency of the country of origin shall be verified for acceptance by the testing agency referred to in rule 126;

(iii) that for tubeless tyres fitted on imported vehicles confirming to conditions (i) and (ii) shall also be allowed.".

12. After rule 96 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely;

"96A. **High Speed Braking Requirements.**- For high speed braking, the following test procedure shall be followed, namely:-.

(a) In the case of Category M1, the P type, service brake test as defined under IS:11852-2001 – Part 3, shall be carried out in the engine connected mode at a test speed of 120 km/h or at 80% of the design maximum speed of the vehicle, whichever is lower.

(b)the stopping distance requirements shall be according to the following formula, namely:-

$S \leq 0.1 V + (V^2 / 130)$:
where, S is the Stopping Distance in mtrs.
V is the test speed in km/h
and Control force $F \leq 500$ Newtons.

Provided that this sub-rule shall be applicable in case of new vehicles yet to be type approved after six months, and in case of already type approved vehicles, twelve months, from the date of the commencement of the Central Motor Vehicle(Third Amendment) Rules, 2002.".

13. In rule 98 of the said rules, for sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) On and after 1st Januaray, 2003, the steering effort of all motor vehicles other than three wheelers not fitted with steering wheel, motor cycles, invalid carriages and agricultural tractors manufactured shall conform to the Indian Standard IS:11948-1999, as amended from time.

14. In rule 101 of the said rules, in sub-rule (2), for the portion beginning with words "three wheelers" and ending with the words "wiping system" , the following shall be substituted, namely:-

"all motor vehicles other than three wheelers,motor cycles and invalid carriages manufactured on and after 1st January, 2003, having a wind screen shall be fitted with a wind screen wiping system which shall conform to the requrements laid down in the following standards, as amended from time to time, till such time the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified:

(i) AIS 019/2001, in the case of M1 category of vehicles
(ii) AIS 011/2001, in the case of other vehicles.

15. For rule 108 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"108. Use of red, white or blue light.- (1) No motor vehicle shall show a red light to the front or light other than red to rear:

Provided that the provisions of this rule shall not apply to --

(i) the internal lighting of the vehicle; or

(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or top light or as top light used on vehicle for operating within the premises like airports, ports without going outside the said premises on to public roads;

(iii) a vehicle carrying high dignitaries as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, from time to time;

(iv) the blinker type of red light with purple glass fitted to an ambulance van used for carrying patients; or

(v) to a vehicle having a lamp fitted with an electrical bulb, if the power of the bulb does not exceed seven watts and the lamp is fitted with frosted glass or any other material which has the effect of diffusing the light;

(vi) white light illuminating the rear number plate;

(vii) white light used while reversing;

(viii) plough light provided in agricultural tractors of illuminating the implement's working area on the ground in agricultural field operations.

(2) Use of blue light with flasher shall be determined and notified by the State Governments at their discretion;

(3) Use of blue light with or without flasher shall be permitted as top light on vehicles escorting high dignitaries entitled to the use of red light;

(4) Use of multi-coloured red, blue and white light shall be permitted only on vehicles specifically designated for emergency duties and shall be specifically specified by State Governments;

(5) The State Government shall inform the Central Government regarding publication of notifications issued by the concerned State Government under sub-rule (2) and under clause (e) of the Notification No. S.O. 52 (E) dated 11th January, 2002, published in the Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, regarding use of red light on top of vehicle being used by dignitaries;

(6) In case vehicle is not carrying dignitaries, red or blue light, as the case may be, light shall not be used and be covered by black cover.".

16. In rule 115 of the said rules,

(A) in sub-rule (2), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) Idling CO (Carbon Monoxide) emission limit for all vehicles other than two wheelers and three wheelers operating on-

(i) Liquified Petroleum Gas (LPG), Petrol; or
(ii) Compressed Natural Gas (CNG), Petrol,

shall not exceed 3.0 per cent by volume;

(b) Idling CO (Carbon Monoxide) emission limit for all two wheeler and three wheeler vehicles operating on-

(i) Liquified Petroleum Gas (LPG), Petrol; or
(ii) Compressed Natural Gas (CNG), Petrol,

shall not exceed 4.5 per cent by volume;"

(B) in sub-rule (10),

(i) under heading "A. FOR PETROL DRIVEN VEHICLES", in the Table under heading 2-wheelers and 3-wheelers", in Notes, after last paragraph, the following shall be inserted, namely:-

"For 2-wheelers and 3-wheelers fitted with catalytic converter, a deterioration factor of 1.2 on Type Approval limits, will be applicable for durability:

Provided that the Vehicle manufacturers may opt for an ageing test of 30, 000 Kms for evaluating deterioration factor, as per procedure that may be laid down by the Central Government;"

(ii) under heading "B. FOR DIESEL VEHICLES (INCLUDING TWO AND THREE WHEELERS)" IN PARA II. under heading "Or Chassis Dynamometer Test", in Notes, after last paragraph, the following shall be inserted, namely:-

"For 2-wheelers and 3-wheelers fitted with catalytic converter, the deterioration factor shall be as follows:

CO = 1.1; HC + NOx = 1.0; PM = 1.2 :

Provided that the Vehicle manufacturers may opt for an ageing test of 30,000 kms for evaluating deterioration factor, as per procedure that may be laid down by the Central Government;

Provided further that the above provisions shall come into force after six months from the publication of the notification."

17. In rule 118 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "the Central Government", the words "the State Government" shall be substituted.

18. In rule 119 of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that on and from 1st January, 2003, the horn installation requirements shall be as per AIS-014/2001 specifications, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified.".

19. In rule 123 of the said rules, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that on and from 1st January, 2003, the pillion hand holds shall be governed by IS:14495-1998 specifications, as may be amended from time to time."

20. In rule 124 of the said rules, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) On and from 1st January, 2003, the general requirements of vehicle rear under run protecting device and the technical requirements of vehicle lateral

protection side shall be as per IS: 14812-2000 specifications and as per IS:14682–1999, respectively, as may be amended from time to time."

21. In rule 125 of the said rules,--

(a) for sub-rule (1A), the following shall be substituted, namely:-

"(1A) The manufacturer of every motor vehicle of M1 category shall equip every motor vehicle with a seat belt for a person occupying the front facing rear seat:

Provided that the specifications of Safety Belt Assemblies and Safety Belt Anchorages in motor vehicles shall conform to AIS:005-2000 and AIS:015-2000 specifications, respectively, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified:

Provided further that on and after 1st October, 2002 the specification of Safety Belt Assemblies and Safety Belt Anchorages in motor vehicles shall conform to AIS:005-2000 and AIS:015-2000 specifications, respectively."

(b) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that on and from 1st January, 2003 the rear view mirror specifications and installation requirements shall be as specified by AIS:001-2001 and AIS:002-2001 respectively, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified.".

(c) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:-

"(5) On and after 1st January, 2003, the size and specfications on seats, their Anchorages and Head Restraints (excluding luggage retention) on M1 vehicle category shall conform to AIS:016-2000 specifications, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified."

22. In rule 126 of the said rules, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the procedure for type approval and certification of motor vehicles for compliance to these rules shall be in accordance with the AIS: 017- 2000, as amended from time to time."

23. In rule 126A of the said rules, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that in case the number of vehicles sold in India for a given base model and its variants (manufactured in India or imported to India) are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then such base model and its variants need not be subjected to the above test, if at least one model or its variants manufactured or imported by that manufacturer or importer, as the case may be, is subjected to such tests at least once in a year;

Provided further that, in case the number of base models and its variants manufactured / imported is more than one and if the individual base model and its variants are less than 250 in any consecutive period of six months in a year, then the testing agencies can pick up one of the vehicles out of such models and their variants once in a year for carrying out such test".

24. In rule 138 of the said rules, in sub-rule(4), in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that in case of vehicles manufactured on and after 1st January, 2003, the triangles of size and specification shall conform to AIS:022-2001, as may be amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified.".

25. For Form 7 of the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 7
(See Rule 16 (2)]

FORM FOR DRIVING LICENCE (LAMINATED / SMART CARD TYPE)

VISUAL INSPECTION ZONE

Driving Licence No.....

Date of Issue.....

Photograph

Valid Till (Non Transport).....Valid Till (Transport).....

Name.....(Surname).....(given name).....(middle name).....

Son/Daughter/Wife of.....

(surname)(given name).....(middle name).....

Address (Current).....

Date of Birth.....(date).....(month).....(year).....

Authorisation to drive the following vehicle class throughout India
i. Class of vehicle
ii. Issue Date (dd-mm-yyyy).....

Badge Number.....

Blood Group and Rh Factor of the Driver.....

Specimen Signature/thumb impression of the licence holder.....

Signature of the Issuing Authority.....

Identification of Issuing Authority.....

Note: The provision for security features like the ghost image and /or the hologram would be provided in the Visual Inspection Zone of the Licence by the concerned State Government. Card Serial Number will be printed by card manufacturer on the back side upper left corner of the card.

Machine Readable Zone

The concerned State Governments will provide the following features in the licence, in Machine Readable Zone.

IndiaCode

Chip Serial Number.....

Driving Licence No.....

Date of Issue.....

Valid Till (Non Transport).....Valid Till (Transport).....

Name.....(Surname).....(given name).....(middle name).....

Son/Daughter/Wife of.....

(surname)(given name).....(middle name).....

Date of Birth(dd-mm-yyyy).....

Class of vehicle				
Respective Date of Issue				
Short Name of the Authority Conducted Driving Test for Respective Class of Vehicle as above				
Designation of the Auhority Conducted Driving Test for Respective Class of Vehicle as above				

Identification of Issuing Authority.....

Endorsment Details (Provision will be made to accommodate the details of 10 Endorsements with following details)

- Endorsement/Challan Number.....
- Endorsement/Challan Date
- ID Code of Authority of Endorsement.....
- Section/Rule/Proceeding No. (Provision for 10 Sections/Rules).....
- Fine.....
- Disqualification Period From (dd-mm-yyyy).....
- Disqualification Period To (dd-mm-yyyy).....
- Settlement/Review Date (dd-mm-yyyy).....
- Settlement/Review Authority ID

Badge Details

- Badge Number
- Valid Till
- Authorisation Number
- Authorisation Date"

26. In Form 20 of the said rules, after item number 4 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"4(a). The annual income and PAN / GIR number of the owner.".

27. After Form 23 of the said rules, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 23-A

[See rule 48]

CERTIFICATE OR REGISTRATION (IN ELECTRONIC MEDIUM AS SMART CARD, ETC)

Particulars to be printed on the Visual Inspection Zone of Smart Card:

Contents of Visual Inspection Zone

Certificate of Registration

1. Name of State Transport Department

2. Card Serial Number

3. Vehicle Registration Number

4 Registration Date (In dd-mm-yyyy)

5. Owner's Details:-

IndiaCode

5.1 Name
5.2 Son/Wife/Daughter of
5.3 Address: Current Postal Address

6. Vehicle's Details:-

6.1 Name of Manufacturer with Make
6.2 Colour
6.3 Fuel
6.4 Vehicle Class
6.5 Body Type
6.6 Seating Capacity
6.7 Standing Capacity
6.8 Date of Manufacture (In mm-yyyy)
6.9 Unladen Weight
6.10 Cubic Capacity
6.11 Wheel Base
6.12 Number of Cylinders
6.13 Owner Serial (Optional)
6.14 Chassis Number
6.15 Engine Number

7. Tax Paid Upto (In dd-mm-yyyy)

8. Registration Validity (In dd-mm-yyyy)

9. Signature of Issuing Authority

10. Identification of Issuing Authority

Contents of Machine Readable Zone

11. Chip Serial Number

12. Owner Serial (No. of this the ownership has changed)

13. Tax Date (Date of Validity of Tax): dd-mm-yyyy

14. Registration Validity (In dd-mm-yyyy)

15. Hypothecation Details:-

15.1 Name of Financer
15.2 Address of Financer
15.3 Hypothecated From (In dd-mm-yyyy)
15.4 Hypothecated Upto (In dd-mm-yyyy)

IndiaCode

16. NOC Details:- (Future Use)

16.1 NOC Number
16.2 State To (Code Only)
16.3 RTO To
16.4 NCRB Clearance Number
16.5 NOC Issue Date (In dd-mm-yyyy)

17. Insurance Details:- (Future Use)

17.1 Name of Company
17.2 Covernote/Policy Number
17.3 Type of Insurance
17.4 Validity Upto (In dd-mm-yyyy)

18. Pollution Under Control Details:- (Future Use)

18.1 Checking Centre (Code only)
18.2 Validity Upto (In dd-mm-yyyy)

19. Tax Payment Details:-

Amount
Fine
Exemption/Receipt Number
Payment Date (In dd-mm-yyyy)
Valid From (In dd-mm-yyyy)
Valid Upto (In dd-mm-yyyy)
Exemption (Y/N)

20. Fitness Details:-

Validity (In dd-mm-yyyy)
Inspecting Officer
Location

21. Additional Information in respect of Transport Vehicle:-

Gross Vehicle Weight (In Kgs.)
Number, Description and Size of Tyres
Registered Axle Weight
Number of Semi Trailers

22. Challan Details:-

Challan Number
Accused Person (O-Owner, D-Driver, C-Conductor)
Section (Code Only)
Challaning Officer
Location

IndiaCode

Date & Time (In dd-mm-yyyy/hh:mm)
Disposing Authority (R-RTO, C-Court)
Disposal Date (In dd-mm-yy)
Penalty
Receipt Number

23. Permit Details:-

Pemit Number
Type of Permit
Validity From (In dd-mm-yyyy)
Validity Upto (In dd-mm-yyyy)
Area of Operation
Route From
Route Upto
Stage 1
Stage 2
Stage 3

24. Permit Actions:-

Action Code SUR/SUS/CAN
From Date (In dd-mm-yyyy)
Upto Date (In dd-mm-yyyy)
Reason

IndiaCode

25. All India Tourist Permit Details:-

From Date (In dd-mm-yyyy)
Upto Date (In dd-mm-yyyy)

26. Authorization Details:-

State (Code Only)
Authorization Number
Validity From (In dd-mm-yyyy)
Validity Upto (In dd-mm-yyyy)
Bank Draft Amount
Bank Draft Number
Bank (Code Only)
Branch
Bank Draft Issue Date (In dd-mm-yyyy)

27. Counter Signature Details:-

Authorizing Office
Validity From (In dd-mm-yyyy)
Validity Upto (In dd-mm-yyyy)
Route From
Route Upto
Stage 1
Stage 2
Stage 3

28. In case of Auto Rikshaw/Local Taxies:-

Meter Number

Note: (i) At the time of payment of next instalment of tax, the issuing autority shall issue a paper receipt stating that date of validty of tax paid has been extended from so & so date to so & so date. The receipt shall be duly signed by designated authority. Name of issuing authority shall also be cleary spelt out. The receipt shall be security printed water mark paper carrying such hologram as may be specified by the concerned State.

Note:(ii) In respect of articulated vehicle, additional information of trailer not required.

28. In Form 47 of the said rules, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note: This Form shall be security printed water-mark paper and shall carry such hologram emblem, as may be specified by the State Government.".

IndiaCode

[F No RT-11036/38/2000-MVL]

ALOK RAWAT. Jt. Secy.

Note:- The principle rules were notified vide GSR 590(E) dated 2nd June, 1989 and were last amended vide GSR 242 (E) dated 28th March, 2002.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode